न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या (09/2008) 34/2022

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 धन्नाराम पुत्र उमाराम (फौत) जाति माली निवासी जायल के कायम मुकामान 1/1 डूंगाराम पुत्र स्व. धन्नाराम 1/2 पुखराज पुत्र धन्नाराम (फौत) के कायम मुकामान 1/2/1 शोभा पुत्री पुखराज 1/2/2 लीला पुत्री पुखराज 1/2/3 कमलकिशोर पुत्र पुखराज 1/2/4 यशोदा पत्नी पुखराज 1/3 देवाराज पुत्र धन्नाराम 1/4 प्रेमाराज पुत्र धन्नाराम 1/5 दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम 1/6 भंवरी पुत्री धन्नाराम 1/7 संतोष पुत्री धन्नाराम जातियान माली निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर।		1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर। 2 रामेश्वर पुत्र हीराराम जाति मोची निवासी जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.01.2026

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार जायल द्वारा मौजा जायल के प्रकरण संख्या 03/2007 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2008 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.02.2008 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 04.02.2008 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 03/07 के फर्दअहकाम दिनांक 19.11.07 से 23.01.2008 तक की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, मौजा जायल की जमाबंदी संवत् 2061 व 2061 से 64 की फोटोप्रति, पुखराज के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.22 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने धारा 183बी आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के जवाब में भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 1522 की भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है और न ही आज तक कभी अपीलांट व रेस्पोडेंट के बीच खेतो की सीमा व कब्जे को लेकर विवाद हुआ। सारी वस्तु स्थिति अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1520 व 541 तथा 1522 का मुस्तकिल बिन्दू से बन्दोबस्त के जानकार व्यक्तियों द्वारा नाप करने से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मगर अपीलांट न्यायालय ने अपीलांट के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अवैध है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गठित की गई कमेठी के सदस्यों ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में वादग्रस्त खसरा नम्बर 1522 व उस पर बनी उतर दक्षिण सडक के पश्चिम की तरफ से जरीब खींचकर बिना कोई मुस्तकिल पोईन्ट तय किये अपीलांट का खसरा नम्बर 1522 की 3 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण बता दिया, जबकि नाप करने वाले कमेठी के सदस्यो का कर्तव्य था कि पूर्व व पश्चिम दोनो तरफ नाप करते व मुस्तकिल पोईन्ट से नाप करके पता लगाते व साथ ही अपीलांट को खसरा नम्बर 1522 पर अतिक्रमण बताने से पहले अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1520 का नाप करके यह पता लगाते कि अपीलांट के कब्जे से उसकी खातेदारी की भूमि रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा से अधिक भूमि पर कब्जा है क्या, मगर कमेठी के सदस्यों ने अपीलांट के कब्जे में खातेदारी भूमि से अधिक भूमि कब्जे में होना बताये बिना व उसके खेत का नाप किये बिना ही खसरा नम्बर 1522 की 3 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण की किस्म रिपोर्ट अपील न्यायालय के समक्ष पेश कर दी। उस मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट को इस गलत रिपोर्ट की जानकारी होने पर उसने तहसीलदार जायल के समक्ष उसकी गैर मौजूदगी में गलत नाप रिपोर्ट तैयार करने पर ऐतराज पेश करते हुए पुनः नाम करवाने के लिये निवेदन किया। जिस पर दिनांक 26.12.07 को तहसीलदार जायल ने अपीलांट के खेत का नाप करने का आदेश पारित किया, मगर पटवारी हल्का जायल ने उपरोक्त आदेश की पालना नहीं की और न ही तहसीलदार जायल ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2007 की पालना करने का प्रयास किया और दिनांक 23.01.2008 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है।

{3}– रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये कब्जा को हटाये जाने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट संख्या 1/1 के पिता धन्नाराम पुत्र उमाराम को पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना अभिलेख से साबित है। प्रस्तुत मामले में आराजी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम होना रिकार्ड से साबित है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इस बिन्दु को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। धारा 183बी के तहत समरी ट्रायल की कार्यवाही होती है। जहां 183बी की कार्यवाही दायर करने के लिये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अनुसूचित जाति की खातेदारी में होना जरूरी होता है। ऐसी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में यह बखूबी साबित है कि निर्विवाद रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 2 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिनकी रिकार्डेड खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है। जिन्हें आराजी भूमि से बेदखल किये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश जैर अपील विधिसम्मत पारित किये जाने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/1/—

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर